प्रेस सार

27 दिसम्बर **2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन "कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, इकाई I और II" आज संसद में प्रस्तुत

प्रतिवेदन केकेएनपीपी की इकाई I और II के संस्थापन और कार्यान्वयन से सम्बंधित विभिन्न कमियों को दर्शाता है

कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना (केकेएनपीपी) इकाई I और II पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या 38 वर्ष 2017) आज संसद में प्रस्तुत किया गया। मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए केकेएनपीपी पर यह प्रतिवेदन के केएनपीपी की इकाई I और II के संस्थापन और कार्यान्वयन से सम्बंधित विभिन्न कमियों को दर्शाता है जैसे कि ऋण राशि पर परिहार्य ब्याज का भुगतान, ऋण लेने में अपारदर्शिता, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में त्रुटियां, विदेशी सहभागी साझेदार को अनुचित लाभ प्रदान करना, आवश्यक श्रमशक्ति का आकलन न होना और इस के फलस्वरूप परिहार्य व्यय, अपर्याप्त नियन्त्रण और सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से पहले व्यावसायिक संचालन शुरू करना। लेखापरीक्षा का उदेश्य यह आंकना था कि क्या न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने इकाई I और II के निर्माण/कार्यान्वयन में विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का प्रयोग किया है और क्या इस परियोजना का कार्यान्वयन एक कार्यकुशल प्रणाली से किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- विभिन्न गतिविधियो के देरी से सम्पन्न होने के कारण जिसमें से कई मैसर्स एटमस्ट्रोयएक्सपोर्ट) एएसई ,(रूस के कार्य पक्ष के लिए जिम्मेदार कंपनी ,की ओर से

विलम्ब होने के कारण हुई ,ईकाई I की संस्थापन की निर्धारित तिथि 30 अक्टूबर 2007 से 31 दिसम्बर 2011 और इकाई II के लिए 30 अक्टूबर 2008 से 31 दिसम्बर 2012 तक स्थगित की गई थी। तथापि, रूसी क्रेडिट के पुन :भुगतान की अवधि का संशोधन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति से पहले, रूसी क्रेडिट का पुनर्भुगतान प्रारंभ हो गया, जिसके कारण ₹ 449.42 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का भार एनपीसीआईएल पर पड़ा।

- पैरा(2.1

- रूसी ऋण का उपयोग करते समय आपूर्ति अनुबंध में निर्माण संचय के प्रावधान की कमी के कारण, जो कि सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध था, एनपीसीआईएल ने बढ़ी ब्याज दर पर बाहरी उधार राशियो का लाभ उठाया और ₹76.02 करोड़ की राशि के ब्याज का अधिक भुगतान वहन किया।

- (पैरा 2.2)

- एनपीसीआईएल ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से ₹1, 000करोड़ का अवधि ऋण प्राप्त करने में निविदा पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग) सीवीसी (के दिशानिर्देशो का उल्लंघन किया।

-)पैरा(2.4

- एनपीसीआईएल ने ऊर्जा के लिए टैरिफ नियत करते समय, दो घटको अर्थात 'विदेशी ऋण पर ब्याज' और 'घरेलू उधार राशियों पर ब्याज' पर विचार नहीं किया था, यद्यपि ये वास्तव में वहन किये गये थे एवं इनका भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यीकरण से पूर्व ₹ 90.63करोड़ तक के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

-)पैरा(3.1

- केकेएनपीपी की इकाई I 60दिनों की योजनाबद्ध अवधि के विपरीत 24 जून 2015 से 31 जनवरी 2016 तक 222 दिनों के लिए बंद थी। यह एनपीसीआईएल के संयंत्र को बंद करने और अपनी तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन किये बिना ईंधन भरने का कार्य अपने आप निष्पादित करने के निर्णय के कारण हुआ। अधिक दिनों के बंद के परिणामस्वरूप एनपीसीआईएल को ₹ 947.99करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

-)पैरा(3.4

- केकेएनपीपी के यूनिट I और यूनिट II ने क्रमशः 86 महीने और 101 महीनों के देरी के बाद व्यावसायिक संचालन शुरू किया। देरी मुख्य रूप से रूसी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में काम करने की वजह से होती थी; कार्य निष्पादन में और कार्यरत दस्तावेजों / एएसई द्वारा उपकरण/सामग्रियों की आपूर्ति को प्रस्तुत करने में; डिजाइन परिवर्तन के कारण देरी; निर्माण विलंब और अतिरिक्त कार्य पूरा होने में देरी से लागत में वृद्धि हुई है एनपीसीआईएल ने ₹ 264.79 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की वसूली के लिए कोई दावा नहीं किया, जो एएसई के कामकाज में देरी के कारण हुई थी।

  - (पैरा 4.1.1 और(4.1.2

- 2.9करोड़ अमेरिकी डॉलर) ₹131. 66 करोड़ (के वास्तविक मूल्य के प्रति,एनपीसीआईएल द्वारा एक पुनर्निमित संविदा में समान उपकरण की आपूर्ति के लिए 50.91मिलियन अमेरिकी डॉलर) ₹23 1.13 करोड़ (की राशि खर्च की गई जिसके कारण ₹ 99.47करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

  -)पैरा(4.2.1

- एनपीसीआईएल द्वारा न तो एएसई द्वारा गैर आपूर्ति/खराब सामग्रियों की आपूर्ति के कारण अतिरिक्त भुगतान/हानि का निर्धारण किया गया और न ही इसकी वसूली/समायोजन के लिए कोई कार्रवाही आरंभ की गई।

  -)पैरा(4.2.4

- एनपीसीआईएल ने एएसई से ₹ 463.08करोड़ मूल्य के निर्णीत हर्जानें के लिए दावा नहीं किया हालांकि वह उसी समय एएसई के ऋण को चुकाने के लिए ब्याज पर,निधियां उधार ले रही थी।

  - (पैरा)4.2.5 क()

- न्यूक्लियर स्टीम आपूर्ति प्रणाली और टर्बो जेनरेटर के उत्थापन और संस्थापन का कार्य ,कार्य-स्थल पर पर्यवेक्षण के लिए रूसी विशेषज्ञो के मानव महीनों में कमी के कारण लागत के इष्टतमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ,रूसी कार्यक्षेत्र से भारतीय कार्य-क्षेत्र को हस्तान्तरित किया गया था। कोई भी लागत-लाभ विश्लेषण किये बिना इसे किया गया था,जिसके परिणाम स्वरूप न केवल परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ बल्कि इसकी समाप्ति पर एनपीसीआईएल ने कार्य के लिए ₹ 706.87करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

-)पैरा4. 3(1.

- एनपीसीआईएल ने ₹ 7.08करोड़ के अतिरिक्त प्रहस्तन प्रभारों और घाट-प्रभारों की प्रतिपूर्ति द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के लिए समुद्री मार्ग परिवाहक क्षतिपूर्ति की थी,जो परिवाहक द्वारा स्वयं वहन किये जाने वाले ऐसे प्रभारो के लिए दी गई संविदाओं की शर्तों के अनुसार अनुचित थी।

- {पैरा4. 3.2)ख(}

- एनपीसीआईएल ने संयंत्र के लिए,एएसई द्वारा की गई तीसरे पक्ष की आपूर्तियों19) . 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य) (₹ 899.95 करोड़ (की दरों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त,कि क्या एएसई द्वारा तीसरे देश आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहायक-संविदाओं में समान प्रावधान मौजूद थे इसका पता लगाये बिना तीसरे देश की आपूर्तियों के लिए एएसई को एनपीसीआईएल द्वारा 10 *प्रतिशत* ब्याज मुक्त अग्रिम के संबंध में 1.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर) ₹ 92.04 करोड़ (की राशि का भुगतान किया।

-)पैरा4. 41.और 4.4.2(

- एनपीसीआईएल ने 31 दिसम्बर 2014 को केकेएनपीपी की इकाई I के वाणिज्यिक परिचालन की घोषणा एईआरबी से संयत्र के नियमित परिचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छः महीने पहले कर दी।

(पैरा 4.6)

सिफारिशे

- संस्थापन तिथियों को पुन: निर्धारित करने के सभी मामलों में रूसी क्रेडिट के लिए पुनर्भुगतान निर्धारण भी तदनुसार संशोधित किया जाए।
- बैंको से ऋणों को मौजूदा नियमों और अधिनियमों का पालन करके पारदर्शी और दस्तावेजी रूप में प्राप्त किया जाए।
- एनपीसीआईएल के पास लंबित बीमा दावोंजैसे मुद्दों की निगरानी करने के लिए प्रभावी निगरानी/प्रतिक्रिया तंत्र होना चाहिए।
- अस्थिर टैरिफ निर्धारण के सभी मामलों को एनपीसीआईएल द्वारा उक्त हेतु निर्णय लेने में विवेकगत तदर्थता से बचने के लिए पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रसंस्कृत किया जाए।

- सभी भावी योजनाबद्ध कामबंदी के लिए एनपीसीआईएल को लंबी कामबंदी तथा परिणामी राजस्व हानि से बचने हेतु बाह्य परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए,यदि आवश्यक हो तो,समय पर निर्णय लेने के लिए कामबंदी से पूर्व संरचित ब्रेकडाऊन विश्लेषण के साथ मैपिंग के द्वारा दक्षता विश्लेषण करना चाहिए।
- उत्पादन के विभिन्न स्तरों के साथ आपूर्तियो के अनुक्रम द्वारा भविष्य में विलम्ब से बचना चाहिए।
- एनपीसीआईएल का हित, इस प्रकार की समझौता वार्ता से निकलने वाले मात्रात्मक लाभों का पता लगाकार सभी संविदाओं की पुन: वार्ताओं में, रक्षित किया जाना चाहिए।
- एनपीसीआईएल को एएसई द्वारा की गई गैर/दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति के लिए वसूली/समायोजन के लिए समय पर कार्रवाही करनी चाहिए।
- निर्णीत हर्जाने का सही तरीके से और समय पर दावा किया जाना चाहिए।
- रूसी पक्ष से भारतीय पक्ष और इसके विपरीत कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए सहमत होने से पहले लागत लाभ विश्लेषण निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए।
- एकल निविदा आधार पर कार्य करने के आदेश को तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वे एनपीसीआईएल की नियमावली और सीवीसी दिशानिर्देशो के अनुसार अर्हता प्राप्त नहीं करते।
- प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के लिए एनपीसीआईएल को उचित दर विश्लेषण के बाद मौजूदा संविदाकारों को कार्य दिया जाना चाहिए।
- संविदाओं को देने से पहले संविदाकारों के साथ एनपीसीआईएल द्वारा कार्य आदेश के निष्पादन के लिए समझौते को निरपवाद रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

- एनपीसीआईएल को संविदा देने के लिए दरों के बेहतर आंकलन करने हेतु कम से कम नियमित प्रकृति के कार्यों जैसे पंपहाउस, सुरंग,क्लोरीनीकरण प्लांट आदि का निर्माण करने के लिए दर-सूची तैयार करनी चाहिए।
- तीसरी पार्टी द्वारा उपकरणों की आपूर्ति के लिए संविदाओं के संबंध में,एनपीसीआईएल को संविदा (संविदाओं) के मूल्य की उचितता सुनिश्चित करने के लिए बोली के संयुक्त मूल्यांकन में भागीदारी करने पर विचार करना चाहिए।